PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Monday 13th January 2014, Page: 13
Width: 16.59 cms, Height: 11.82 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-13.58.137

केंद्र ने नकली दवाओं के कारोबार को खत्म करने के लिए तैयार की व्यापक योजना

# नकली दवा निर्माण, बिक्री पर नकेल की कवायद

विजय गुप्ता

सख्त कानून लाने के बाद बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी केंद्र सरकार

विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा

चार साल में योजना पर खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपये

**नई दिल्ली।** नकली और घटिया दवाओं को बनाना और बेचना अब आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इस कारोबार को समाप्त करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना को साकार करने के लिए सरकार चार साल में लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सर्वाधिक व्यय ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर होगा। साथ ही सचल औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या बढ़ाई जाएगी और पुरानी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद का कहना है कि देश में सख्त कानून होने के बावजूद घटिया दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए सरकार के पास मजबूत बुनियादी ढांचा नहीं है। लिहाजा सरकार ने नकली दवाओं के निर्माण व बिक्री और मियाद समाप्त हो जाने वाली दवाओं के विपणन पर रोक के लिए व्यापक योजना तैयार की है। पहले चरण में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के बुनियादी ढांचे और कार्मिकों को मजबूत करने पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आजाद के मुताबिक राज्य स्तर पर औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है।

इस पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत ई-गवर्नेंस, समुद्र पार निरीक्षण, अधिक प्रयोगशालाएं, सचल औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सृजन, पोत-पत्तन कार्यालयों में लघु प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नकली दवाओं पर रोक के लिए बने कानून को सरकार पहले ही सख्त कर चुकी है। इस तरह के अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। समय पर न्याय मिल सके इसके लिए विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की योजना है।